



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

03 CHAITR, 1943 (S)

No. 234

RANCHI, WEDNESDAY, 24th MARCH, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 01/2021 – State Tax

S.O. No. 28, Dated 24th March, 2021 - In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall be deemed to be effective from the 1st day of January, 2021.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -

(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;

(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of

goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;

(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.”.

[File No.Va Kar / GST /01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Principal Secretary,
Commercial taxes Department

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 28 -State Tax, dated the 20th June, 2017, published and last amended *vide* notification No. 94/2020-State Tax, dated the 9th February, 2021, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 25, dated the 9th February, 2021.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 01/2021- राज्य कर

एस. ओ. सं. 28, दिनांक 24 मार्च, 2021 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) ये नियमावली 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इस अधिसूचना इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,-

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर-1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

प्रधान सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

नोट: मूल नियमावली एस.ओ. सं. 28 -राज्य कर, दिनांक 20 जून, 2017 को झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस.ओ. सं. 25, दिनांक 9 फरवरी, 2021, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 94/2020- राज्य कर, दिनांक 9 फरवरी, 2021 के द्वारा किया गया था।
